रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112024-258431
CG-DL-E-04112024-258431

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625]	**नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 2024/कार्तिक 13, 1946**
No. 625]	**NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 2024/KARTIKA 13, 1946**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2024

सं. 23/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 683(अ).—जब कि वियतनाम और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 40 00, 7306 50 00, 7306 61 00, 7306 69 00, 7306 90 11, 7306 90 19 या 7306 90 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/28/2023-डीजीटीआर, दिनांक 6 अगस्त, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ, इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देशों से पाटित मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;

(ii) विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है;

(iii) यह क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के पाटित मूल्य पर आयात के कारण हुई है,

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तुओं जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित हैं और भारत में आयातित हैं, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, निर्धारण तथा प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं जो नीचे की सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट हैं, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित हैं, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा निर्मित हैं और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित राशि के बराबर, विनिर्दिष्ट मुद्रा में और निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	शुल्क राशि (यूएसडी/एमटी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 40 00, 7306 50 00, 7306 61 00, 7306 69 00, 7306 90 11,	वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	सोनहा एसएसपी वियतनाम सोल मेंबर कंपनी लिमिटेड	शून्य*

	7306 90 19 या 7306 90 90					
2	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	स्टील 568 कं, लिमिटेड	शून्य*
3	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 1 और 2 के अलावा कोई भी निर्माता	307.79*
4	-वही-	-वही-	वियतनाम और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी निर्माता	307.79*
5	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	आई स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	शून्य
6	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 5 के अलावा कोई भी निर्माता	246.49
7	-वही-	-वही-	वियतनाम और थाईलैंड के अलावा कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी निर्माता	246.49

टिप्पण : सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

*उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 के लिए, लगाए जाने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी की राशि कॉलम संख्या (7) में उल्लिखित एंटी डंपिंग ड्यूटी की मात्रा और देय काउंटरवेलिंग ड्यूटी, यदि कोई हो, के बीच के अंतर के बराबर है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 190354/162/2024-टीआरयू]

अमृता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2024

No. 23/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 683(E).—Whereas in the matter of “Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 40 00, 7306 50 00, 7306 61 00, 7306 69 00, 7306 90 11, 7306 90 19 or 7306 90 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 6/28/2023-DGTR, dated the 6th August, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 has inter-alia come to the conclusion that —

(i) the subject goods have been exported to India from the subject countries at dumped prices;

(ii) the domestic industry has suffered injury on account of subject imports from subject countries;

(iii) the injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount, and in the currency, and as per unit of measurement as specified in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No	**Tariff Items**	**Description of goods**	**Country of origin**	**Country of export**	**Producer**	**Duty Amount (USD/MT)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 40 00, 7306 50 00, 7306 61 00, 7306 69 00, 7306 90 11, 7306 90 19 or 7306 90 90	Welded Stainless - Steel Pipes and Tubes	Vietnam	Any country including Vietnam	Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited	NIL*
2	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Steel 568 Co., Ltd	NIL*

3	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any producer other than S. No. 1 and 2 above	307.79*
4	-do-	-do-	Any country other than Vietnam and Thailand	Vietnam	Any producer	307.79*
5	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	I Stainless Steel Co Ltd., Thailand	NIL
6	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than S. No. 5 above	246.49
7	-do-	-do-	Any country other than Vietnam and Thailand	Thailand	Any Producer	246.49

Note:- The customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration.

*For serial numbers 1 to 4, the amount of anti-dumping duty to be imposed is equivalent to the difference between the quantum of anti-dumping duty mentioned in column (7) and countervailing duty payable, if any.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded, or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 190354/162/2024-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA